


14.10.19 पशावली कास्त्रे बहक पेश हुई। उपपक्ष
के उक्तिपक्षक उप। पशावली में मजनीप
न्यायालय राजस्व मंडल राज. अजमेर
के ग्रहां से लपकी ह्य पर प्राप्त हुआ।
इतः पशावली को उक्त मजनीप कोषों
की याचना में पूर्व कार्रवाई मत् मजनीप
न्यायालय, राजस्व मंडल राज. अजमेर
को नित्रवाई जारी है। पशावली के मल

अज्ञात है।

उपसंखंड अधिकारी
घोद मु. सीकर



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

साधारण नियम (दाण्डिक), नियम 1980
प्ररूप संख्या XXVI

(नियम 142 और 159)

अभिलेख के प्रेषण के लिए प्ररूप

प्रेषक:

उपखण्ड अधिकारी,
धोद मु.सीकर (सीकर)

प्रेषिती:

श्रीमान् निबंधक महोदय,
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर (राज.)

क्रमांक /

/रीडर/2019/506

तारीख: 14.10.2019

आपके न्यायालय के प्रकरण संख्या 5931/2019 उनवान गुलाबखान बनाम कमलादेवी में आपका अध्यपेक्षा पत्र संख्या टीए/निग/2019/5931/सीकर/14.11.2019 द्वारा प्राप्त हुआ था। निम्न अभिलेख इसके साथ अग्रेषित किया जाता है। कृपया इससे संलग्न इस पत्र की दूसरी प्रति पर अभिलेख की प्राप्ति अभिस्वीकृति करें। मूल अभिलेख, इसकी आवश्यकता समाप्त होने के पश्चात्, कृपया अविलम्ब वापिस किया जावे।

क्र. सं.	भेजे गये अभिलेखों की विशिष्टियां					टिप्पणियां
	न्यायालय का नाम	संख्या और वर्ष	प्रकरण की किस्म	शीर्षक	निपटारे की तारीख	
1	2	3	4	5	6	7
1	उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर (सीकर)	06/2019	प्रार्थना- पत्र अधारा 251 (ए) आरटीए	कमलादेवी बनाम आरिफ आदि	27.09.2019	-



संलग्न - कुल पृष्ठों सहित मूल पत्रावली

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर
धोद मु. सीकर

अभिलेख-प्राप्ति की अभिस्वीकृति

ऊपर वर्णित दिया गया अभिलेख इस न्यायालय मेंको प्राप्त हुआ था और अभिलेख-प्राप्ति के रजिस्टर में संख्या तारीख के अधीन प्रविष्ट कर लिया गया है।

तारीख

पद